रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 2012/चैत्र 30, 1934
No. 176] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 2012/CHAITRA 30, 1934

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 307(अ).—केंद्रीय सरकार, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम, 2000 के नियम 3 में "3.00 लाख रुपए प्रतिमास और 2.50 लाख रुपए प्रतिमास" अंकों और शब्दों के स्थान पर "3.75 लाख रुपए प्रतिमास और 3,12,500 रुपए प्रतिमास" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आर-16012/2/2008-आईएनएस. III]

प्रिया कुमार, निदेशक (बीमा)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के पश्चात् विनियामक निकायों के अध्यक्ष और सदस्यों के समेकित वेतन पैकेज को 1.1.2011 के प्रभाव से पुनरीक्षित करने के लिए व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 8.1/1/2008-आईसी तारीख 15.9.2011 द्वारा 25% बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

पाद टिप्पण - मूल नियम सा. का. नि. 841(अ) तारीख 25 अक्तूबर, 2000 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का. नि. 827 (अ) तारीख 1.12.2008 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2012

G.S.R. 307(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances payable to and other Terms and Conditions of Services of Chairperson and other members) Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowance payable to and other Terms and Conditions of Services of Chairperson and other members) Amendment Rules, 2012.

   (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances payable to and other Terms and Conditions of Services of Chairperson and other Members) Rules, 2000, in rule 3, for the letters, figures and words "Rs.3.00 lakh per month and Rs.2.50 lakh per month", the letters, figures and words "Rs.3,75,000 per month and Rs.3,12,500 per month" shall be substituted.

[F. No. R-16012/2/2008-Ins. III]

PRIYA KUMAR, Director (Insurance)

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revised the consolidated pay package of Chairperson and members of Regulatory bodies, post 6th Central Pay Commission by 25% with effect from 01.01.2011 vide Department of Expenditure's O. M. No. 8.1/1/2008-IC dated 15.09.2011.

Foot Note:- The Principal rules were published vide notifications No. G.S.R. 841 (E) dated 25th October, 2000 and subsequently amended by G.S.R. No. 827 (E) dated 01.12.2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.